

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 4)
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

Notification

New Delhi, the 30th July, 2012

S.R.O. 555.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organization Group "C" and Group "D" Fire Fighting Staff Recruitment Rules 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Leading Hand Fireman, Fire Engine Driver and Fireman in the Coast Guard Organization, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organization Fire Fighting Staff Group "C" Posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of the posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. -** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
1. Leading Hand Fireman.	8* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 2000.	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p>Promotion: Fireman having three years regular service in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government:-</p> <p>(i) holding analogous post in fire fighting cadre on regular basis in pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2000 in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) having three years service in the grade of Fireman Grade I or equivalent grade of Fireman on regular basis in Pay Band -1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department and possessing the following qualifications :-</p> <p>Essential :</p> <p>(a) Matriculation pass from a recognised Board or equivalent,</p> <p>(b) experience of maintaining documents at the Fire Station,</p> <p>(c) one year experience of making use of minor and major fire fighting appliances or equipments,</p> <p>(d) ability to train guide and control working of fire crew and able to take independent charge of shifts, and</p> <p>(e) should be physically fit and capable of performing strenuous duties.</p> <p>Note:- The physical fitness shall be tested as per the following standards:-</p> <p>(i) Height without shoes - 165 Cms. provided that a concession of 2.5 Cms in height shall be allowed for members of the Scheduled Tribes and candidates of hilly areas.</p> <p>(ii) Chest (unexpanded) - 81.5 Cms</p> <p>(iii) Chest (on expansion) - 85 Cms</p> <p>(iv) Weight - 50 Kg (Min)</p> <p>(v) Endurance Test:</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Officer of the rank of Commandant or Commandant (Junior Grade)</p> <p style="text-align: right;">- Chairman</p> <p>2. Two officers of the rank of Deputy Commandant or Civilian Staff Officer or Assistant Commandant</p> <p style="text-align: right;">- Members</p> <p>3. Fire Adviser or Assistant Fire Adviser, Ministry of Defence or an outside technical expert not below the rank of Deputy Chief Fire Officer from the nearest Civil or Defence Fire Brigade</p> <p style="text-align: right;">- Member</p>	<p>Not applicable</p>

<p>(1) Carrying a man weighing 63.5 Kgs by fireman lift up to a distance of 183 meters within 96 seconds.</p> <p>(2) Clearing 2.7 meters wide ditch by landing on both feet (long jump).</p> <p>(3) Climbing 3 meters vertical rope by hands and feet.</p> <p>Desirable-</p> <p>(a) Experience with the use, maintenance and operation of different types of Fire Fighting equipments and appliances, and</p> <p>(b) Experience of working in a regular civil or Defence Fire Brigade as Fireman.</p> <p>Note :- For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5
2. Fire Engine Driver.	10*(2012). * Subject to variation depending on workload	General Central Service Group "C", non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 2000.	Non-selection.

6	7	8	9	10
18 to 30 Years. (Relaxable for Government servants in the case of general candidates upto 40 years and in the case	Essential- (a) Matriculation pass from a recognized Board or equivalent, (b) possessing heavy vehicle driving license	Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation or absorption and failing both by direct recruitment.

<p>of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto 45 years as per instructions or order of the Government from time to time).</p> <p>Note1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>with three years experience of driving heavy vehicles in any of private or Government Organisation/Institute.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(a) Experience with the use, maintenance and operation of different types of Fire Fighting equipments and appliances, and</p> <p>(b) Experience of working in a regular civil or Defence Fire Brigade as Fireman.</p>			
--	---	--	--	--

11	12	13
Promotion. (a) Fireman having three years regular service in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 1900 subject to possessing a valid heavy vehicle driving license and passing departmental trade test. Deputation or absorption:- Officers of the Central Government- (a) (i) holding analogous post of Fire Engine Driver in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000 on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having three years service in the grade of Fireman in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 1900 on regular basis or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing qualification as specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Officer of the rank of Commandant or Commandant (Junior Grade) - Chairman (2). Two officers of the rank of Deputy Commandant or Civilian Staff Officer or Assistant Commandant - Members (3). Fire Adviser or Assistant Fire Adviser, Ministry of Defence or an outside technical expert not below the rank of Deputy Chief Fire Officer from the nearest Civil or Defence Fire Brigade - Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
3.Fireman	38*(2012). * Subject to variation depending on workload	General Central Service Group "C" non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 1900.	Not-applicable

6	7	8	9	10
18 to 27 Years. (Relaxable for Government Servants in the case of general candidates upto 40 years and in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto 45 years as per instructions or order of the Government from time to time).	Essential- (a) Matriculation pass from a recognized Board or equivalent. (b) Should be physically fit and capable of performing strenuous duties. Note:- The physical fitness shall be tested as per the following	Not-applicable	Two years.	Direct recruitment failing which by deputation.

<p>Note1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>physical standards:-</p> <p>(i) Height without shoes – 165 Cms. provided that a concession of 2.5 Cms in height shall be allowed for members of the Scheduled Tribes and candidates of hilly areas.</p> <p>(ii) Chest (unexpanded)-81.5 Cms</p> <p>(iii) Chest (on expansion) – 85 Cms</p> <p>(iv) Weight – 50 Kg (Min)</p> <p>(v) Endurance Test:</p> <p>(1) Carrying a man weighing 63.5 Kgs by fireman lift up to a distance of 183 meters within 96 seconds.</p> <p>(2) Clearing 2.7 meters wide ditch by landing on both feet (long jump).</p> <p>(3) Climbing 3 meters vertical rope by hands and feet.</p>			
---	--	--	--	--

11	12	13
Deputation:- Officers of the Central Government- (1) holding analogous post of fire fighting cadre in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900 on regular basis in fire fighting cadre in the parent cadre or department; or (2) three years regular service in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800 in fire fighting cadre on regular basis in the parent cadre or department.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- (1). Officer of the rank of Commandant or Commandant (Junior Grade) - Chairman (2). Two officers of the rank of Civilian Staff Officer or Deputy Commandant or Assistant Commandant - Members (3). Assistant Fire Adviser or Fire Adviser, Ministry of Defence or an outside technical expert not below the rank of Deputy Chief Fire Officer from the nearest Civil or Defence Fire Brigade - Member	Not applicable.

[File No: CP/0601/FF/1324/D(CG-R)/2012]



T.C. Sharma
Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख... 31.01.2012 2012

अधिसूचना

का.नि.आ... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटरक्षक समूह 'ग' और 'घ' अग्निशमन कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के तटरक्षक संगठन में लीडिंग हैंड फायरमैन, दमकल ड्राइवर और फायरमैन, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय तटरक्षक संगठन समूह 'ग' अग्निशमन कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और और ग्रेड वेतन या वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लीडिंग हैंड फायरमैन	*8 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>
<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा फायरमैन जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार के अधिकारी:-</p> <p>(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के अग्निशमन काडर में वेतन बैंड-1 में 5200-20200/- रु. धन 2000/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200/- रु. धन ग्रेड वेतन 1900/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो:-</p> <p>अनिवार्य :</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य ।</p> <p>(ख) दमकल केंद्र में दस्तावेजों के अनुरक्षण का अनुभव ।</p> <p>(ग) बड़े और छोटे अग्निशमन साधित्रों या उपस्करों का प्रयोग करने में एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(घ) अग्निशमन कर्मिंदल को प्रशिक्षण देने तथा उसके कार्य का नियंत्रण, मार्गदर्शन करने में</p>

समर्थ होना चाहिए और पारियों का भार स्वतंत्र रूप से संभालने में समर्थ होना चाहिए, और (ड.) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ ।

टिप्पण:-

शारीरिक उपयुक्तता का परीक्षण निम्नलिखित मानकों के अनुसार होगा :-

(i) जूता के बिना ऊंचाई – 165 सेंमी परंतु अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए 2.5 सेंमी की रियायत अनुज्ञेय ।

(ii) छाती (बिना फुलाए) – 81.5 सेंमी

(iii) छाती (फुलाकर) – 85 सेंमी

(iv) वजन – 50 किलोग्राम (न्यूनतम)

(v) क्षमता परीक्षण :

(1) फायरमैन द्वारा 63.5 किलोग्राम के आदमी को 96 सेकंड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना ।

(2) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनों पैरों पर पार करना (लंबी कूद) ।

(3) हाथ और पैर का प्रयोग करते हुए 3 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना ।

वांछनीय –

(क) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों और साधित्रों के उपयोग, अनुक्षण और प्रचालन का अनुभव ।

(ख) किसी नियमित सिविल या रक्षा अग्निशमन दल में फायरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव ।

टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा भी जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी) की पंक्ति का अधिकारी - अध्यक्ष 2. उपकमांडेंट या सिविलियन स्टाफ आफिसर या सहायक कमांडेंट की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य 3. अग्निशमन सलाहकार या सहायक अग्निशमन सलाहकार - सदस्य <p>रक्षा मंत्रालय या निकटतम सिविल या रक्षा दमकल दल का एक बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ जो उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो ।</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. दमकल ड्राइवर	10* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	<p>18 से 30 वर्ष</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><u>टिप्पण 1</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p><u>टिप्पण 2</u> : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(7)	(8)	(9)
<p>अनिवार्य :</p> <p>(क) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण, या समतुल्य</p> <p>(ख) उसके पास किसी सरकार संगठन या विभाग में तीन वर्ष का भारी यान चलाने का अनुभव के साथ चालन अनुज्ञप्ति हो ।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(क) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों और साधित्रों के उपयोग, अनुरक्षण और प्रचालन का अनुभव होना चाहिए ।</p> <p>(ख) किसी नियमित सिविल या रक्षा दमकल दल में फायरमैन श्रेणी-II के रूप में कार्य करने का अनुभव ।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा फायरमैन विधिया या भारी यान चालन अनुज्ञप्ति के रखने और विभागीय ट्रेड परीक्षण के अध्यक्षीन जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन</p> <p>केंद्रीय सरकार के अधिकारी:-</p> <p>(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में अग्निशमन काडर में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. धन 2000 रु. ग्रेड वेतन नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. धन 1900/- रु. ग्रेड</p>

	<p>वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ।</p> <p>(ख) स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो ।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी) की पंक्ति का अधिकारी - अध्यक्ष 2. उपकमांडेंट या सिविलियन स्टाफ आफिसर या सहायक कमांडेंट की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य 3. अग्निशमन सलाहकार या सहायक अग्निशमन सलाहकार - सदस्य <p>रक्षा मंत्रालय या निकटतम सिविल या रक्षा दमकल दल का एक बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ जो उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो ।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. फायरमैन	38*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><u>टिप्पण 1</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p><u>टिप्पण 2</u> : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <p>(क) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य, (ख) शारीरिक रूप से योग्य और श्रम साध्य कर्तव्य करने में समर्थ होना चाहिए ।</p> <p>टिप्पणी :- शारीरिक उपयुक्तता का परीक्षण निम्नानुसार होगा :-</p> <p>(i) जूता के बिना ऊंचाई – 165 सेमी परंतु अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए 2.5 सेंमी की रियायत दी जाएगी ।</p> <p>(ii) छाती (बिना फुलाए) – 81.5 सेंमी</p> <p>(iii) छाती (फुलाकर) – 85 सेंमी</p> <p>(iv) वजन – 50 किलोग्राम (न्यूनतम)</p> <p>(v) क्षमता परीक्षण :</p> <p>(1) फायरमैन द्वारा 63.5 किलोग्राम के आदमी को 96 सेकंड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना ।</p> <p>(2) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनों पैरों पर पार करना (लंबी कूद) ।</p> <p>(3) हाथ और पैर का प्रयोग करते हुए 3 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना ।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<p>प्रतिनियुक्ति :-</p> <p>केंद्रीय सरकार के अधिकारी:-</p> <p>(1) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में अग्निशमन काडर में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. धन 1900/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या</p> <p>(2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. धन 1800/- रु. ग्रेड</p>

	वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो :-
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी) की पंक्ति का अधिकारी - अध्यक्ष 2. उपकमांडेंट या सिविलियन स्टाफ आफिसर या सहायक कमांडेंट की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य 3. अग्निशमन सलाहकार या सहायक अग्निशमन सलाहकार - सदस्य रक्षा मंत्रालय या निकटतम सिविल या रक्षा दमकल दल का एक बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ जो उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो । 	लागू नहीं होता

(फा.सं. सीपी/0601/एफएफ/1324/डी(सीजी-आर)/2012

(टी सी शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार